


17-01-18

वकील शायल इधका सायल बार-बार
आवाज लगवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं
आये। अतः प्रकृत अक्षय हाजरी व अक्षय पैकी
में अगारिज किया जाता है।

पत्रावली के सलसुमार होकर नंबर से
कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला
अभिलेखणा हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी